

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

(E-mail id-dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या

/उप0ख0(ईनि)-V/गू0खनि0निदेशा0/2025-26,

दिनांक

30 अगस्त, 2025

संशोधित विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) प्राविधानानुसार निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र0ख0लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा अन्य क्षेत्रों के साथ जनपद व तहसील चम्पावत के ग्राम दियूरी क्वैराला-2, क्वैराला नदी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 6473 से 6676, 6682, 6678, 8678 कुल रकवा 3.560 है0 मध्ये रकवा 2.17 है0 राजस्व उपखनिज क्षेत्र एवं उपखनिज की मात्रा आर0बी0एम0 97,650 टन को ई-निविदा सह ई-नीलागी के द्वारा उपनिगम (2) में निर्धारित अवधि के लिए खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग चम्पावत के पत्र संख्या 462/भू0खनि0वि0चम्पा0/खनन पट्टा/2025-26 दिनांक 13 अगस्त 2025 के द्वारा उक्त उपखनिज क्षेत्र की संयुक्त सीमाबन्धन/संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 28 मई, 2025 निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया कि "राजस्व अभिलेखों से मिलान कर नाला नदी को संदर्भ बिन्दु लेते हुए खसरा संख्या 6473 रकवा 0.752 है0, खसरा संख्या 6460 रकवा 15.806 है0 मध्ये रकवा 1.213 है0, खसरा संख्या 6461 रकवा 0.722 है0 मध्ये रकवा 0.205 है0 कुल रकवा 17.280 है0 मध्ये रकवा 2.170 है0 एक सहित खण्ड पर संयुक्त निरीक्षण के दौरान उपलब्धता के आधार पर चिन्हित/सीमांकित करते हुए निदेशालय के पत्र संख्या 4492 दिनांक 29 नवम्बर 2023 द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत राजस्व उपखनिज क्षेत्र दियूरी क्वैराला-2, क्वैराला नदी के खसरा संख्या 6473 से 6676, 6682, 6678, 8678 कुल रकवा 3.560 है0 मध्ये 2.17 है0 के स्थान पर खसरा संख्या 6473, 6461, 6460 कुल रकवा 17.28 है0 मध्ये 2.17 है0 राजस्व भूमि पर आशय पत्र संशोधित किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र0ख0लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञापित उपखनिज लॉट जनपद व तहसील चम्पावत के ग्राम दियूरी क्वैराला-2, क्वैराला नदी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 6473 से 6676, 6682, 6678, 8678 कुल रकवा 3.560 है0 मध्ये रकवा 2.17 है0 के स्थान पर निम्नवत् संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र0 स0	तहसील	ग्राम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की श्रेणी	मात्रा (टन में)	खनिज का प्रकार
चम्पावत								
01	चम्पावत	दियूरी क्वैराला-2	क्वैराला	ग्राम दियूरी क्वैराला-2, क्वैराला नदी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 6473 रकवा 0.752 है0, खसरा संख्या 6460 रकवा 15.806 है0 मध्ये रकवा 1.213 है0, खसरा संख्या 6461 रकवा 0.722 है0 मध्ये रकवा 0.205 है0 कुल रकवा 17.280 है0 मध्ये रकवा 2.170 है0	2.170	राजस्व	97,650	आर0बी0एम0

अतः निदेशालय के विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र0ख0लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप यथावत् रहेगा।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

3144
संख्या /उप0ख0(ईनि)-V/गू0खनि0निदेशा0/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद चम्पावत।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0, भूतत्व एवं खनिकर्म को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

(राजपाल लेघा)
निदेशक